न्यायालय अपर विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

सत्र परीक्षण सं0. 1084/2016
सरकार बनाम श्रवण कुमार आदि

मु.अ.सं.– 224/2017,
अं.धारा– 302,120बी,34 भा.दं.सं.
थाना– बन्थरा, लखनऊ।

आरोप

मैं डा0 लक्ष्मीकान्त राठौर, विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ एतद् द्वारा आप– 1. श्रवण कुमार, 2. अंकुर मौर्या, 3. जावेद आलम व 4. मो0 आदिल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ –

प्रथमः यह कि दिनांक 06.06.2016 को समय 09.00 बजे प्रातः ,स्थान दुकान वादी मुकदमा स्थित ग्राम बन्थरा, थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ में आप लोगों ने सामान्य आशय से मिलकर वादी मुकदमा धीरज कुमार मौर्या के पिता अशोक कुमार मौर्या के सिर पर तमन्चे से फायर करके गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। इसप्रकार आप लोगों द्वारा वादी के पिता की हत्या कारित कर दी गई। आपका यह कृत्य धारा– 302 सपठित धारा– 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य आशय से जमीनी विवाद को लेकर वादी मुकदमा के पिता अशोक कुमार मौर्या की हत्या करने का षड्यन्त्र रचा और उक्त षड्यन्त्र की पूर्ति में अशोक कुमार मौर्या की हत्या कारित कर दी । इसप्रकार आपने धारा– 120बी भा.दं.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एवं एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए ।

(डा0 लक्ष्मीकान्त राठौर),
विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
दि0. 09.08.2017 अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(डा0 लक्ष्मीकान्त राठौर),
विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
दि0. 09.08.2017 अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

न्यायालय अपर विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

सत्र परीक्षण सं0. 1084/2016
सरकार बनाम श्रवण कुमार आदि

मु.अ.सं.– 224/2017,
अं.धारा– 302,120बी,34 भा.दं.सं.
थाना– बन्थरा, लखनऊ।

<u>दिनॉकः 09.08.2017</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण 1. श्रवण कुमार, 2. अंकुर मौर्या, 3. जावेद आलम व 4. मो0 आदिल मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये।

मैने अभियुक्तगण के अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को आरोप के विन्दु पर सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

उभयपक्ष के तर्को को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा– 302/34, 120बी भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 302/34, 120बी भा.दं. सं. के अंतर्गत आरोप अलग प्रपत्र पर आरोप विरचित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनॉकः 01.09.2017 को पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हों।

(डा0 लक्ष्मीकान्त राठौर),
विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/
अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।